

त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने नवीन फल—सब्जी मण्डी हुई प्रारंभ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व निगम आयुक्त ने किया संयुक्त निरीक्षण 5 मई को 150 सब्जी व 45 फल विक्रेताओं ने करा व्यवसाय प्रारंभ

शहर का यातायात तंत्र हुआ सुगम

फल—सब्जी क्रय करने पहुंचे नागरिक नवीन फल—सब्जी मण्डी

रतलाम 5 मई । यातायात प्रबंधन तंत्र को व्यवस्थित किये जाने हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम नगर में 5 मई से जमीन एवं ठेलागाड़ी पर सड़क एवं फुटपाथ आदि पर फल—सब्जी विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाकर तथा 4 स्थानों पर ही फल—सब्जी का विक्रय किये जाने के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने नवीन सब्जी मण्डी को प्रारंभ किया गया ।

त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने नवीन सब्जी मण्डी का कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संयुक्त निरीक्षण गया । निरीक्षण के दौरान नवीन मण्डी में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने निर्देश संबंधित को दिये गये ताकि विक्रेताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार यातायात प्रबंधन तंत्र को व्यवस्थित किये जाने हेतु फल—सब्जी विक्रय हेतु फल—सब्जी का विक्रय सैलाना ब्रीज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पम्प के सामने, विनोबा नगर ग्रीड के पास व त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने चिह्नित किये गये थे जिसमें से 5 मई गुरुवार को त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने नवीन फल—सब्जी मण्डी प्रारंभ की गई है जिसके तहत 150 सब्जी व 45 फल विक्रेताओं द्वारा अपना प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही नागरिकों ने भी फल—सब्जी क्रय करना प्रारंभ कर दिया गया है । नवीन फल—सब्जी मण्डी प्रारंभ होने से शहर का यातायात तंत्र भी सुगम हुआ है ।

उन्होंने बताया कि त्रिवेणी रोड कल्याण नगर के सामने फल—सब्जी विक्रय हेतु 241 सब्जी व 31 फल विक्रेताओं ने 4 मई को अपना पंजीयन कराया था निगम द्वारा 4 बाय 4 के ब्लॉक बनाकर उन्हे व्यवस्थित रूप से बैठाया गया है । इसके अलावा नवीन फल—सब्जी मण्डी में सब्जी—फल विक्रेताओं से 7 दिवस तक किसी प्रकार की बाजार बैठक वसूली नहीं की जायेगी ।

गोपाल गौशाला कालोनी के नव शृंगारित उद्यान का आज होगा लोकार्पण

रतलाम 5 मई । गोपाल गौशाला कालोनी के नव शृंगारित उद्यान का आज 06 मई शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप के कर कमलों द्वारा व सदस्य, जिला योजना समिति श्री राजेन्द्र सिंह जी लुनेरा की अध्यक्षता में लोकार्पण संपन्न होगा ।

आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व निगम अधिकारी उपस्थित रहेंगे ।

कचरा संग्रहण हेतु कचरा संग्रहण वाहनों ने लगाई 253 ट्रीप 109 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पहुंचा

रत्नाम 5 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 5 मई गुरुवार को 252 ट्रीप लगाकर 109 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

5 मई गुरुवार को मैजिक सूखा कचरा 56285 किलो, मैजिक गीला कचरा 24895 किलो, डम्पर से 23165 किलो, ट्रेक्टर से 4745 किलो, सेनेटरी वेस्ट 4.2 व घरेलू हानिकारक कचरा 3 किलो इस तरह कुल 109097.2 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 14.50 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रत्नाम 4 मई। संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 4 मई को कुल राशि रूपये 8,98,656/- का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 4 मई को संपत्तिकर कार्यालय 248839, जलकर कार्यालय से 447435, वसूली दल 81125 कुल 528560, स्पॉट फाईन 3000, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 48714, लीजरेंट 69543 इस तरह कुल राशि रूपये 8,98,656/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित स्वच्छता संबंधी शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 14420 पर कॉल करें कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 कचरा पात्रों का उपयोग करें

रत्नाम 5 मई। रत्नाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रत्नाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रत्नाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

सफाई से संबंधित शिकायतों के लिए नगर-निगम रत्नाम के टोल फ्री नंबर 14420 पर शिकायत दर्ज करायें। अपने मोबाइल में स्वच्छ एप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निर्माण एवं विध्वंस सामग्री उठवाने के लिए भी टोल फ्री नंबर पर सूचना देवें। शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में किया जाएगा।

नागरिक व व्यापारी घरों, दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 4 प्रकार के डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें। इनमें सूखा कचरा, गीला कचरा, सेनेटरी वेस्ट एवं हानिकारक अपशिष्ट अलग अलग डस्टबिन में ही रखें। एवं अलग अलग 4 प्रकार का कचरा सफाई गाड़ी में ही अलग अलग डालें।

खुले स्थान में कचरा फेंककर सड़क, नाला, नाली एवं वाटर बाड़ी गंदा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाकर दंडित किया जायेगा।

19 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बखास्त

रतलाम 5 मई । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 5 मई को प्रातः 14 व दोपहर की शिफ्ट में 5 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बखास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

5 मई गुरुवार को झोन क्रमांक 1 में अजय—विनोद, बादल—दिलीप, राकेश—रतनलाल, विजय—फुलचन्द, अनिल—अर्जून, विककी—दिनेश, विजय—सुरेश, सतीश—गोवर्धन, बबीता—सतीश, झोन क्रमांक 2 में रमेश—मुंशी, सुगनाबाई—शंकर, मीनाबाई पति किशोर, रवि—सुरेश, राकेश—कैलाश, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 4 में तेजुबाई—किशोर, अनिताबाई पति अशोक, सुनिताबाई पति मनोज, सुनिताबाई पति शिवलाल व राकन्या पति सोहन द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बखास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हे सेवा से बखास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नेशनल लोक अदालत 14 मई को होगी आयोजित

निगम के करों की बकाया राशि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 5 मई । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु आज 14 मई 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) से अधिक तथा रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000/- से अधिक तथा रुपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) से अधिक बकाया हाने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर

के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Time Settlement) ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2021–22 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14/05/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

कचरा, गंदगी व अतिक्रमण करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

रत्नाम 5 मई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 5 मई को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कचरा एवं गंदगी करने पर शोएब खान, सचिन, आरिफ खान, इमरान खान सन्नो बी पर 1000–1000, रवि पर 500, सुनील पर 300, सुधीर, राजेन्द्र, मंगल पर 250–250 व पुरुषोत्तम पर 100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी, अतिक्रमण व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

रात्रिकालीन सफाई के 9 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रत्नाम 5 मई। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 04 मई बुधवार को निरीक्षण किये जाने पर रात्रिकालीन सफाई के 9 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया।

4 मई बुधवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी नवीन—फिरोज, राजा—कैलाश, पंकज—फिरोज, नरेन्द्र—नवीन, अमन—सुदेश, रवि—मासुम, संजय—पवन, संतोष—प्रभुदयाल, चंचल—बसतीलाल बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रत्नाम 5 मई। नगरीय क्षेत्र रत्नाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 5 मई। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 5 मई। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भाँति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना—पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 5 मई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 5 मई। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/05.05.2022/न.पा.निगम, रतलाम